

स्थायी लोक अदालत

सिविल कोर्ट परिसर
गिरिडीह

लोक हित में "जनहित सेवाओं" से संबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होता है।

नोट:- यह स्थायी लोक अदालत है जहाँ प्रत्येक कार्य दिवस को विवादों का सुनवाई 10:30 पूर्वाह्न से 04:30 अपराह्न तक होता है।

- प्री-लिटिगेशन स्टेज पर विवाद का निपटारा।
- निःशुल्क, सरल तथा सौहार्दपूर्ण महौल में केस का निष्पादन होता है।
- केस स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से फाईल एवं पैरवी कर सकते हैं।
- कोर्ट का निर्णय फाइनल होगा जो अपीलीय नहीं है एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- रुपये एक करोड़ तक के मूल्यांकन का दाखिला एवं निपटारा यहाँ होता है।

जनहित सेवाएँ

- बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विवाद
- डाक सेवाओं से संबंधित विवाद
- टेलीफोन सेवाओं से संबंधित विवाद
- बिजली सेवाओं से संबंधित विवाद
- जल सेवाओं से संबंधित विवाद
- लोक सफाई एवं स्वच्छता प्रणाली से संबंधित विवाद
- यातायत (हवाई, रेल, बस) वा ट्रांसपोर्ट सेवाओं से संबंधित विवाद
- अस्पताल और औषधालय से संबंधित विवाद
- बीमा सेवाओं से संबंधित विवाद
- सिविल मामलों से संबंधित विवाद (टाइटल सूट को छोड़कर)
- शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित विवाद
- रियल स्टेट से संबंधित विवाद इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित अन्य विवाद भी सम्मिलित हैं।

जैसा कि देखा जा रहा है कि आये दिन जनहित सेवाओं से संबंधित केस/मुकदमा बढ़ता जा रहा है। विदित है कि केस/मुकदमा होने का मतलब है कि अपने को आर्थिक/मानसिक/शारीरिक/प्रतिष्ठा की बर्बादी होना।

हमारे देश में लगभग 5 करोड़ केस लम्बित हैं केसों की संख्या से आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए केस का निष्पादन कब तक होगा ?

आम जन से अपील है कि जनहित सेवाओं से संबंधित विवाद आपस में बैठ कर सुलझा ले यदि नहीं सुलझ पाता है तो अपने जिला में कार्यरत स्थायी लोक अदालत में स्वयं आकर दखिल करें।

“कृपया केस/मुकदमा से बचें”